

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
4 / 2021

दायर दिनांक
11.02.2021

निर्णय दिनांक
30.03.2021

अनवान

1. गंगाराम पिता मगनीराम जाति ओड आयु वयस्क निवासी फतहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. चम्पा पिता मगनीराम जाति ओड आयु वयस्क निवासी फतहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. नारायणलाल पिता मगनीराम जाति ओड आयु वयस्क निवासी फतहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. भगवानलाल पिता मगनीराम जाति ओड आयु वयस्क निवासी फतहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतु पिता लालु जाति भील आयु वयस्क निवासी जीतिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. गणेश पिता कालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी फतहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. भैरु पिता हीरा जाति नाई आयु वयस्क निवासी जीतिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. हेमराज पिता चुन्ना जाति नायक आयु वयस्क निवासी जालमपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. मोती पिता चुन्ना जाति नायक आयु वयस्क निवासी जालमपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
6. रतन पिता चुन्ना जाति नायक आयु वयस्क निवासी जालमपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री निर्मल मीणा
एक तरफा

प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 कर निवेदन किया कि मौजा फतहपुरा पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 43 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 595, 596, 597, 605/517, व मौजा जालमपुरा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 10 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 23, 24, 25, 26, 38 कृषि भूमि प्रार्थीगण



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा फतहपुरा पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 43 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 595, 596, 597, 605/517, व मौजा जालमपुरा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 10 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 23, 24, 25, 26, 38 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन